महत्वपूर्ण एवं खास

अवैध बिक्री के लिये पैदल महुआ शराब ला रहा व्यक्ति गिरफ्तार, 15 लीटर महुआ शराब जप्त

रायगढ़। बरमकेला थाने के प्रधान आरक्षक सोनसाय यादव आज दिनांक 05/06/2021 को हमराह आरक्षक कन्हैया चौहान, पुरूषोत्तम राठौर, मिनकेतन पटेल, दिनेश कुमार चौहान के साथ आबकारी एक्ट की कार्यवाही करने थानाक्षेत्र के ग्राम डभरा, भंवरपुर, गोबरसिंघा की ओर रवाना हुए थे। इसी बीच मुखबीर द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम भंवरपुर का मंगल विश्वकर्मा ग्राम डभरा की ओर से प्लास्टिक जरीकेन में अवैध महुआ शराब लेकर पैदल आ रहा है। सूचना पर गवाहों को साथ लेकर बरमकेला स्टाफ ग्राम भंवरपुर डबरी तालाब के पास संदेही का इंतजार किये, कुछ देर बाद मंगल विश्वकर्मा एक जरकिने लिये पैदल आया जिसे रोककर चेक करने पर उसके 15 लीटर क्षमता वाले जरिकेन में 15 लीटर महुआ शराब पूरा भरा हुआ मिला जिसे मंगल विश्वकर्मा अवैध बिक्री के लिये लाना बताया। आरोपी मंगविश्वकर्मा पिता स्व0 पूर्णचंद विश्वकर्मा उम्र 43 वर्ष ग्राम भंवरपुर के विरूद्ध थाना बरमकेला में 34(2),59क आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है।

मोबाइल पर गाली गलौच, जान से मारने की धमकी, शिकायत पर एफआईआर

रायगढ़। थाना कोतवाली रायगढ में शिकायतकर्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी पिता कमलाधर द्विवेदी उम्र 25 वर्ष निवासी प्रेमप्रताप कालोनी रायगढ़ के शिकायत पत्र की जांच पर अनावेदक निखिल अग्रवाल पिता संजय अग्रवाल निवासी-गुलमोहर कलोनी बेलादुला, रायगढ़ के विरूद्ध आपराधिक अभित्रास (507 आईपीसी) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। शिकायत जांच दौरान शिकायतकर्ता ने अपने बयान में बताया कि निखिल अग्रवाल इससे द्वेष रखता है। इसी कारण का निखिल अग्रवाल दिनाक 07.12 2020 को मरीन ड्राईव में बोल्डर से सिर में मारा था। निखिल अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने पर उसका मनोबल और बढ़ गया है और वह दिनांक 22.04.2021 की रात लगभग 11:30 बजे अपने मोबाईल से कल कर गंदी-गंदी गलियां और परिवार समेत मार देने की धमकी दिया , अगले दिन फिर से कॉल कर गाली गलौच कर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने और घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ निगरानी रखने के कारण शिकायत पत्र कार्यवाही के लिये दिया गया है। शिकायत जांच पर अनावेदक निखिल अग्रवाल के विरूद्ध अप.क्र. 721/2021 धारा 507 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

दूसरी महिला से मोबाईल पर चेटिंग करने मना करने पर पति ने की जमकर पिटाई, थाने में मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। दूसरी महिला से मोबाईल पर चेटिंग करने मना करने पर पति ने जमकर की पत्नी की पिटाई कर दी। मामले की रिपोर्ट पुरानीबस्ती थाने में दर्ज करायी गई है। त्रिमुर्ति मंदिर लाखेनगर निवासी श्रीमती दिब्या मानिकपुरी 25 वर्ष पति लोमेश मानिकपुरी ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि प्राथिया का शादी 08 वर्ष पूर्व लोमेश मानिपुरी 29 वर्ष से हुई है व उसके तीन बच्चे है। पति देर रात तक एक महिला से मोबाईल पर चेटिंग कर बातचीत करते रहता है। 04 जून को रात 9.30 बजे मोबाईल पर चेटिंग करते समय मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्का एवं पैर से मारपीट कर उसका सिर जमीन पर पटक दिया। जिसके चलते उसके सिर में चोट लगी व नाक से खून बहने लगा। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 294,323,506 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

कंटेनमेट अवधि में अनुमति प्राप्त गतिविधियों का कल से होगा शर्तों के साथ संचालन

» प्रतिदिन संध्या 5 बजे से से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन

» प्रत्येक रविवार जिला रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी कर जिले में कन्टेनमेंट जोन की अवधि को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी है। यह आदेश 06 जून से प्रभावशील होगा। 06 जून रविवार होने के कारण जारी आदेशानुसार इस दिन पूर्ण लॉकडाउन रहेगा तथा रविवार के दिन जिन गतिविधियों को संचालन की अनुमति है केवल वे ही उनके लिए निर्धारित समय में ही संचालित हो सकेंगी। सोमवार 07 जून से अन्य अनुमति प्राप्त गतिविधियों का निर्धारित समय अनुसार संचालन किया जा सकेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

कलेक्टर सिंह द्वारा जारी आदेश में जिले में आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। जिनमें सभी सुपर मार्केट/सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरीज हॉल, स्वीमिंग पुल, क्लब, बार, सिनेमा हाल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।

स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सभी पान ठेले, गुमटी जहां पर पान, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा का विक्रय किया जाता है, का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त आदेश के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्ति की संख्या 10 निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना/सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिये नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदक को विवाह हेतु आवेदन के साथ विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों (वर एवं वधु सहित)का नाम/ जानकारी एवं शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का 72 घंटे पूर्व का कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगी। घर-घर जाकर दुग्ध वितरण एवं न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 7.30 बजे तक ही होगी। सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अनाज मंडी, मदिरा दुकानें, प्रातः 8 बजे से संध्या 5 बजे तक (रविवार को छोड़कर)खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जायेगी।

चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फुट इत्यादि की दुकान/ठेलों में खाद्य विक्रय की अनुमति टेक-अवे/पार्सल के माध्यम से प्रातः 8 बजे से संध्या 5 बजे तक (रविवार को छोड़कर)होगी। दुकान/ठेले पर ग्राहकों को बिठाकर अथवा खड़ाकर खिलाना प्रतिबंधित होगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाईन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 9 बजे तक आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाऊस अतिथियों के लिये होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

रायगढ़ जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे। किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकत देंगे। निजी निर्माण कार्य की सशर्त अनुमति होगी। श्रमिकों को मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित रूप से सेनेटाईजर का उपयोग एवं कोविड-19 के गाइड लाइन नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी रायगढ़ द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान/प्रतिष्ठान द्वारा ग्राहकों को बिना मास्क के सामान विक्रय किया जाता है या फिजिकल डिस्टेंसिग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

प्रतिदिन संध्या 5 बजे से से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयर हाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंधि रहेगा।

प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जायेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एलपीजी, न्यूजपेपप, दुग्ध तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 या वेक्सीनेशन ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों, चिकित्सकों हेतु नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा।

आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरो से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।

यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्नि शमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालय में अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

धोखे से मुख्तियारनामा तैयार कर जमीन की करा ली रजिस्ट्री, मामला दर्ज

रायगढ़। थाना अजाक रायगढ में आज दिनांक 05/06/2021 को धरमजयगढ़ निवासी डॉ. खुर्शीद खान, नूरउल्लाह खान, अमीर उल्लाह खान, मृणाल मलिक पर विशेष वर्ग की महिला के भूमि की धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री कराने तथा उन्हें डराने-धमकाने गाली गलौज को लेकर विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण) रायगढ़ के न्यायालय से प्राप्त पारिवाद पत्र की जांच पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

जानकारी के अनुसार प्रार्थीगण गरीब विशेष वर्ग के कम पढे लिखे लोग हैं तथा धरमजयगढ़ तुर्रापारा मोहल्ला स्थित टिकरापारा के नजुल भूमि 18,381 वर्ग फुट भूमि के हिस्सेदार है। धरमजयगढ वार्ड क्रमांक 04 अटल आवास निवासी डॉ. खुर्शीद खान, नूरउल्लाह खान, अमीर उल्लाह खान के द्वारा भूमि की मुख्य खातेदार को विशेष वर्ग का होना जानते हुए भूमि खरीदने का सौदा किये। सभी खातेदारों को भूमि में फौती काटने की कार्यवाही पश्चात रजिस्ट्री कर भूमि की रकम देने की बात कही गई। उसी दौरान डॉ खुर्शीद खान द्वारा इन लोगो से कागजात में फौती काटने की कार्यवाही के लिए फोटो, दस्तखत एवं अंगूठा के निशान कुछ कागजातों में लिया गया बाद में इन्हें जानकारी मिली कि डॉ. खुर्शीद खान द्वारा छल कपट धोखाधडी करते हुए अपने निजी क्लीनिक में कार्यरत कम्पाउन्डर मीणाल बंगाली (मृणाल मलिक) के नाम से आम मुख्तियारनामा तैयार कर उक्त भूमि को गुपचुप तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया है। परिवाद पत्र की जांच पर से अनावेदक डॉ खुर्शीद खान पिता अत्ताउल्लाह खान, नूरउल्लाह खान पिता अत्ताउल्लाह खान, अमीर उल्लाह खान पिता अत्ताउल्लाह खान, मृणाल मलिक पिता गौरचंद मलिक सभी वार्ड नं0 04 धरमजयगढ़ पर थाना अजाक रायगढ़ में धारा 294,420,120-बी, 506 आईपीसी एवं 3(1)(10), 3(1)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मेंलिया गया है।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, तमनार पुलिस भेजी रिमांड पर

रायगढ़। थाना तमनार में दिनांक 04/06/2021 को थानाक्षेत्र की नाबालिग बालिका उसके घर के समीप रहने वाले अभिमन्यु सारथी के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध में बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पीडिता बताई कि पढाई छोड़ने के बाद घर के काम में मां क हाथ बंटाती थी। उसके घर के समीप रहने वाले अभिमन्यु सारथी को बचपन से जानती है। अभिमन्यु विवाहित है, बावजूद इसके करीब एक साल पहले से शादी करूंगा कहकर पहले से काफी ज्यादा बातचीत करने लगा और बार-बार मिलने जुलने लगा। पिछले साल अक्टूबर महीने में अभिमन्यु घुमाने के लिए ग्राम भालूमुडा ले गया, जहां से वापस आते समय जंगल में शादी करूंगा कहकर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद से लगातार शारीरिक संबंध बनाने के लिये डराता धमकाता और चोरी-छिपे संबंध बनाता था। दिनांक 02.06.2021 को अभिमन्यु, बालिका के घर आकर बालिका को अपने साथ चलने के लिये बोला, बालिका मना की तो घरवालों से लडाई-झगडा किया। बालिका थाने में अभिमन्यु सारथी द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 175/2021 धारा 376,506 भादवि 4, 6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी अभिमन्यु सारथी उम्र 35 वर्ष निवासी तमनार को गिरफ्तर कर रिमांड पर भेजा गया है।

ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन, स्वीकृति हेतु तिथि निर्धारित

रायगढ़ । जिले में संचालित शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पालीटेक्निक एवं आईटीआई आदि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियां जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, उन्हें सूचित किया जाता है कि कोविड-19 लॉक डाउन के कारण/ महाविद्यालयों में प्रवेश विलंब तथा परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण शिक्षा सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति हेतु वंचित विद्यार्थियों के लिये ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12 वीं से उच्चतर)के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट http: // mpsc. mp. nic /cgpms पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा लंबित विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2020-21 के लिये तिथि निर्धारित की गई है।

पात्र लंबित विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण हेतु), ड्रॉफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु एवं स्वीकृति आदेश करने की तिथि 10 जून 2021 से 17 जून 2021 तक तथा ड्रॉफ्ट प्रपोजल लॉक एवं दस्तावेज, जमा करने हेतु (अशासकीय संस्था) के लिये 10 जून 2021 से 18 जून 2021 की तिथि निर्धारित की गई है। वर्ष 2020-21 के छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन कर दिये है वे दोबारा आवेदन न करें। दोबारा आवेदन करने पर नियमानुसार विद्यार्थी तथा संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जायेगा। सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित तिथियों के पश्चात विद्यार्थियों एवं संस्थाओ का पंजीयन/ड्राफ्ट/स्वीकृति करने की अनुमति प्रदाय नहीं किया जावेगा एवं संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है तो इसके लिये संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

अष्टभुजी स्व-सहायता समूह की महिलायें मछली पालन से बन रही आर्थिक रूप से सशक्त

रायगढ़ । बिहान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं एवं युवतियों को स्व-सहायता समूह के रूप में गठित कर एवं उन्हें प्रेरित करते हुये स्व-रोजगार से जोड़े जाने की अति महत्वाकांक्षी योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिलायें एसएचजी से जुड़कर सफलता की नयी कहानियां लिख रही है तथा अपने सपनों को पंख दे रही है।

विकासखण्ड खरसिया के आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत हालाहुली में अष्टभूजी स्व-सहायता समूह का गठन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत हुआ था। समूह की महिलाओं के परिवार के लोग व्यक्तिगत रूप से कृषि एवं गैर कृषि कार्य में संलग्न है। बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें इस योजना के माध्यम से अनुदान के रूप में चक्रीय निधि राशि 15 हजार एवं सामुदायिक कोष की राशि 60 हजार प्राप्त हुई तथा बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपये का लोन लिया। जिससे वे मछली पालन का कार्य कर रही है। समूह की महिलाओं को मछली पालन का कार्य करते हुये एक वर्ष से अधिक हो चुका है। इस कार्य से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है और वे एक लाख रुपये से अधिक की आय प्राप्त कर रही है। इस कार्य से समूह की महिलायें आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480